संख्याः1143/XVII(4)/2018-5(102)2016

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादूनः दिनांक 21 अगस्त, 2018

विषयः—किशोरी, बालिकाओ एवं महिलाओं हेतु सेनेटरी नैपकिन व्यवस्था योजनान्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सेनेटरी नैपकिन का विक्रय किया जाना तथा विक्रय किये गये सेनेटरी नैपकिन के सापेक्ष पारितोषिक धनराशि (Incentive) आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रदान किया जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या—731/XVII(4)/2018-5(102)2016 दिनांक 22.05.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य में ''माहवारी स्वच्छता'' (''Menstrual Hygiene'') के उद्देश्य से किशोरी, बालिकाओं एवं महिलाओ को व्यक्तिगत स्वच्छता एवं जन जागरूकता हेतु समस्त जनपदों के आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन का विक्रय न्यूनतम दरों पर किये जाने तथा आंगनबाडी कार्यकत्रियों के माध्यम से आंगनवाड़ी केन्द्रों में विकय किये गये सेनेटरी नैपकिन के सापेक्ष पारितोषिक धनराशि (Incentive) आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को निम्नानुसार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:—

1. ''स्पर्श'' राज्य स्तरीय सेनेट्री नैपकिन के चयन, परीक्षण एवं मूल्यांकन कमेटी में लिये गये निर्णयानुसार सेनेटरी पैड के नमूनो को ISI मार्क एवं BIS के मानको के अनुसार पंजीकृत फर्म से ही लिये जाने के दृष्टिगत GEM के माध्यम से क्रय किया जाना है।
2. आगंनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र के माध्यम से उक्त सेनेटरी पैकेट विक्रय प्रारम्भ किया जायेगा, जिसके सापेक्ष आगंनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्रति पैकेट के विक्रय पर ₹2/—पारितोषिक धनराशि इस उददेश्य से प्रदान की जायेगी कि महिला एवं किशोरियों में व्यक्तिगत स्वच्छता को बढ़ावा देकर सेनेटरी नैपकिन के प्रयोग के सम्बन्ध में जागरूक करेगी, चूंकि सेनेटरी पैड के विक्रय का कार्य अतिरिक्त रूप से उक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा किये जाने के कारण पारितोषिक धनराशि दिया जाना होगा।
3. सेनेटरी नेपकिन का कय जनपदों की मांग पर GEM के माध्यम से समिति द्वारा समय—समय पर क्रय किया जायेगा, जिसको आंगनवाडी केन्द्र के माध्यम से ''स्पर्श'' पैड के नाम से विक्रय किया जायेगा। उपरोक्त क्रय एवं विक्रय के मूल्य के अन्तर धनराशि ₹0.20 पैसे को आंगनवाडी कार्यकत्रियों को दिये जाने वाले पारितोषिक में सम्मिलित किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को विभाग की तरफ से मात्र ₹1.80 का ही व्यय वहन पारितोषिक के रूप में किया जायेगा। सैनेटरी नैपकिन के मूल्य परिवर्तित होने की दशा में उक्त क्रय विक्रय के मूल्य के अंतर का Ratio को यथावत् रहेगा, साथ ही आगामी कार्ययोजना के तहत सेनेटरी नैपकिन पैड राज्य के मुख्य स्थानों में वैडिंग मशीन के माध्यम से भी विक्रय किये जाने पर पृथक से निर्णय लिया जायेगा। जिस हेतु वेडिंग मशीन में उपयोग में लाये जाने वाले ''सनेटरी पैड 05 प्रति पैकेट'' होंगे।
4. आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा सेनेटरी पैकेट के विक्रय की धनराशि को बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से निदेशक/उपाध्यक्ष, म0स0एवंबा0वि0 के पदनाम से खोले गये बचत खाते में जमा किया जायेगा, जिसका समस्त लेखा—जोखा एवं आय—व्यय उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास समिति, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग योजनान्तर्गत ही रखा जायेगा। उक्त खाते को कार्पस फण्ड के रूप में संचालित किया जायेगा। भविष्य मे सेनेटरी पैड के क्रय—विक्रय उक्त खाते से ही संचालित किया जायेगा।

23/8/18

5. आंगनवाडी कार्यकर्तियों द्वारा त्रैमासिक आधार पर विक्रय की गयी सेनेटरी नैपकिन की सूची के साथ पारितोषिक धनराशि का बिल बाउचर बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से सत्यापित कर प्रेषित किया जायेगा तथा आंगनबाड़ी केन्द्र एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा ही सेनेटरी नैपकिन पैड का भण्डार पंजिका का उचित प्रकार से रख–रखाव भी किया जायेगा।

6. जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी के स्तर से त्रैमासिक आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विक्रय की गयी सेनेटरी पैड का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने पर आगामी भण्डारण हेतु राज्य स्तर को सेनेटरी नैपकिन पैड की मांग प्रेषित की जायेगी।

7. निदेशालय द्वारा उक्त योजना के संचालन, परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु समय–समय पर दिशा–निर्देश निर्गत किये जायेगें तथा जनपद स्तर पर आंगनवाड़ी केन्दों का सोशल आडिट भी किया जायेगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्याः 1145(1)/XVII(4)/2018-5(102)/2016 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, अपर सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को अपर सचिव, महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. वित्त नियन्त्रक, आई0सी0डी0एस0, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. राज्य परियोजना अधिकारी, राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।